हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा ईआईए अधिसूचना संख्या:- एसओ 1533 (ई) दिनांक:- 22/04/2025 के प्रावधान के अनुसार श्री रवि डोगरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुरजोन सिंह प्रो. मेसर्स गिरि यमुना स्टोन क्रशर, निवासी मकान नंबर 172/3, वार्ड नंबर 11, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो की खसरा नंबर 475/188 और 476/188 (निजी भूमि, नदी तल खनन) , मौजा मोहकमपुर , तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 3.3717 हेक्टेयर क्षेत्र पर 75,863 मीट्रिक टन/वर्ष की दर से रेत, पत्थर और बजरी (खनिजों का खनन) निकालने के लिए, दिनांक 22/04/2025 को सुबह 11:00 बजे, डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल के पास, खुले क्षेत्र में, गांव नवादा, डाकघर शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय जन सुनवाई को आयोजित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब तहसील के मोहकमपुर स्थित मौजा में खसरा संख्या 475/188 और 476/188 (निजी भूमि, नदी तल खनन) पर 75,863 मीट्रिक टन/वर्ष की दर से रेत, पत्थर और बजरी (खनिजों का खनन) निकालने के लिए श्री रवि डोगरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुरजोन सिंह, निवासी मकान संख्या 172/3, वार्ड संख्या 11, तहसील पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर सह पर्यावरणीय जन सुनवाई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जन सुनवाई की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया।

जन सुनवाई में खनन निरीक्षक पांवटा साहिब, स्थानीय प्रशासक के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय एवं आस-पास के गांवों के निवासी भी उपस्थित थे। जन सुनवाई में भाग लेने वालों की उपस्थिति सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

सर्वप्रथम इंजीनियर श्री अतुल परमार, पर्यावरण अभियंता सह क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन के संबंध में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी तथा पर्यावरण जन सुनवाई के अध्यक्ष की अनुमति से पर्यावरण जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की।

इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जीरकपुर पंजाब के सलाहकार, डॉ. सिमरनजीत कौर से रेत, पत्थर और बजरी के निष्कर्षण/संग्रह के लिए उनकी प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी जनता को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सलाहकार द्वारा जनता को प्रस्तावित खनन पट्टा परियोजना की प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिए जाने के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित लोगों से बिना किसी भय और किसी भी पक्ष के दबाव के, प्रस्तावित खनन परियोजना पर अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव और आपत्ति व्यक्त करने के लिए कहा।

जन सुनवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। तदनुसार, पर्यावरण जन सुनवाई की कार्यवाही रिकॉर्ड की गई और उसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

गिरि यमुना स्टोन क्रशर के लिए जन सुनवाई की कार्यवाही

क्रमांक	नाम और पता	उठाया गया मुद्दा	उठाए गए मुद्दों पर उत्तर/टिप्पणी
1.	नवादा गांव से माम चंद	पास में ही पानी के बांध के अस्तित्व और अवैध खनन के संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाए गए। बताया गया कि भूजल स्तर में कमी आई है	खनन गतिविधियां अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सख्ती से संचालित की जाएंगी तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने के लिए अधिकतम गहराई एक मीटर सुनिश्चित की जाएगी।
2.	मुस्तफिर अंसारी नवादा गांव से	सभी मौजूदा क्रशरों को बंद करने का अनुरोध किया गया तथा वैकल्पिक परिवहन मार्ग विकसित करने का सुझाव दिया गया।	सड़क मरम्मत के लिए धनराशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है, तथा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा इस मामले को सक्रियता से निपटाया जा रहा है।
3.	नवादा गांव से नसीम अली	खनन गतिविधियों के कारण निकटवर्ती कुहल/जल निकाय को होने वाली संभावित क्षति के संबंध में चिंता व्यक्त की गई।	परियोजना परामर्शदाता ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित खदान पट्टे के निकट कोई भी मौजूदा जल योजना या बांध स्थित नहीं है।
4.	डॉ. रोहतास नागिया काउंसलर नवादा गांव से	बढ़ते यातायात के बारे में चिंता व्यक्त की गई तथा हरियाणा में किए गए उपायों के समान प्रदूषण को रोकने के लिए खनन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया।	परियोजना सलाहकार ने आश्वासन दिया कि प्रदूषण रोकथाम के उचित उपाय लागू किये जायेंगे।
5.	शिवपुर पंचायत से जसप्रीत सिंह	निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:- 1. क्षेत्र में भूजल स्तर कम हो गया है। 2. बंगारण के पास जल योजना बंद हो गई है। 3. बरोटीवाला में जल योजना खनन गतिविधियों से प्रभावित हुई है। 4. अनुरोध किया गया कि खनन पट्टा जल योजना के पास नहीं होना चाहिए। 5. प्रस्तावित योजना में वृक्षारोपण के बारे में मुद्दा उठाया गया। 6. बताया गया कि क्षेत्र में लगभग 40 मौजूदा क्रशर चालू हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही	परियोजना सलाहकार द्वारा :- 1. स्पष्ट किया गया कि उठाई गई चिंताएं मौजूदा खनन पट्टे से संबंधित हैं तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं हैं। 2. यह बताया गया की प्रस्वावित परियोजना के पास कोई भी पानी की स्कीम नहीं है। 3. यह बताया गया की मृदा की गुणवत्ता , सौन्दर्यीयकरण में सुधर और मिट्टी के कटाव को काम करने के लिए सड़क के किनारे (कच्ची सड़क) नदी के किनारे ग्राम पंचायत के परामर्श से वृक्षारोपण गतिविधियां की जाएगी। इसके अलावा

		हैं, जिसमें रात के समय खनन और परिवहन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। 7. सुझाव दिया गया कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड का 75% स्थानीय ग्रामीणों के लाभ के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। 8. खनन गतिविधि में भारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।	उच्च बाढ़ स्तर के बहार प्रस्तावक की अपनी निजी भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 हेक्टेयर है , में वृक्षारोपण किया जायेगा। 4. यह बताया गया की खनन का कार्य पूर्ण रूप से हस्तचालित (मैन्युअल) तरीके से किया जायेगा जिसमे फावड़ों , छलनियो , गेंतियों आदि जैसे हस्तचालित उपकरणों का उपयोग किया जायेगा। 5. यह बताया गया की परियोजना की अनुमानित लागत कुल रूपये 20 लाख है। MoEF & CC के कार्यालय ज्ञापन फाइल नंबर 22 -65 /2017 – IA. III दिनांक 01 .05 .2018 के अनुसार कुल परियोजना लागत का 2 % कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (सीईआर) के तहत पर्यावरण हित में लगाया जायेगा।
6.	सितार मोहम्मद मानपुर देवरा गांव से	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के स्वामित्व वाली खनन लीज़ ग्रामीणों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना नियमानुसार स्थापित की जा रही है, और लोग इस परियोजना से केवल लाभ ही उठाएंगे।	स्वीकार किया गया.
7.	नवादा गांव से अमजद खान	कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए निर्माण सामग्री की उपलब्धता में योगदान मिलेगा।	स्वीकार किया गया.
8.	मुकेश कुमार मोहकमपुर नवादा गांव से	सड़कों की खराब स्थिति और 1.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जल सिंचाई योजना पर खनन के प्रभाव के बारे में चिंता जताई। नवादा रोड पर घटते भूजल स्तर और ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में भी चिंता	योजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया की यह अभी प्रस्तावित योजना है व अभी तक कोई खनन गतिविधि नहीं की गयी है। स्पष्ट किया गया कि उठाई गई चिंताएं मौजूदा खनन पट्टे से संबंधित हैं तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं हैं।

		जताई।	स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया गया की सड़क की स्थिति के मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
9.	तोहिद अली , ग्राम पंचायत नवादा	कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार पैदा होगा।	स्वीकार किया गया.
10.	साबिर अली नवादा गांव से	प्रस्तावित खनन पट्टे की राजस्व सृजन क्षमता के बारे में बताया तथा इसकी स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा परियोजना का हार्दिक स्वागत किया।	स्वीकार किया गया.
11.	नवादा गांव से माशूक अली	बरसात के मौसम में आस-पास की निजी भूमि में बाढ़, अवैध खनन, सड़कों की खराब स्थिति और यातायात की भीड़ के बारे में चिंता जताई। उन्होंने रिटेनिंग दीवारों और चेक डैम के माध्यम से नदी के किनारों के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुझाए।	परियोजना परामर्शदाता ने पुष्टि की कि स्वीकृत खदान योजना में अवरोधक संरचनाओं और चेक डैम सहित तट संरक्षण के प्रावधान शामिल हैं।
12.	ग्राम पंचायत शिवपुर से तरसेम सिंह अध्यक्ष भारतीय किशन सभा	मौजूदा क्रशिंग इकाइयों, अवैध खनन, ओवरलोड ट्रकों, यातायात की भीड़, सड़क क्षति, स्थानीय फसलों को प्रभावित करने वाले धूल उत्सर्जन और जल स्तर में कमी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने उत्खनन सामग्री के लिए वैकल्पिक मार्ग और स्थानीय कल्याण के लिए डीएमएफटी फंड के आवंटन की वकालत की।	इन चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित जल छिड़काव, ट्रकों में ओवरलोडिंग पर रोक तथा सड़क रखरखाव जैसे उपायों की योजना बनाई गई है।
13.	प्रधान, ग्राम पंचायत शिवपुर	कहा कि सड़कों की मरम्मत की जाए तथा सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा स्टोन क्रशर के मानक पूरे किए जाएं।	स्वीकार किया गया.
14.	अनुज कुमार, गोरखुवाला	क्रशर चलाने का समय निर्धारित किया जाए। स्टोन क्रशर के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर भी	स्पष्ट किया गया कि उठाई गई चिंताएं मौजूदा खनन पट्टे से संबंधित हैं तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं हैं।

		प्रकाश डाला गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।	
15.	पवन कुमार, नवादा	कहा कि पौधारोपण किया जाना चाहिए।	स्वीकार किया गया.
16.	हरमेल सिंह, वार्ड सदस्य, शिवपुर	खनन और क्रशर गतिविधियों के कारण घटते भूजल स्तर का मुद्दा उठाया गया।	स्पष्ट किया गया कि उठाई गई चिंताएं मौजूदा खनन पट्टे से संबंधित हैं तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं हैं।
17.	जगत सिंह	स्टोन क्रशरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। सड़कों की भार क्षमता बढ़ाने की मांग की गई।	स्वीकार किया गया.
18.	पवन, शिवपुर	ट्रकों में ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाया गया।	यह मुद्दा मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है।
19.	नवादा गांव से समीन अहमद	खनन कार्यों और परिवहन सेवाओं के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन के अवसरों पर जोर दिया गया। नवादा रोड की भीड़भाड़ वाली सड़क का मुद्दा उठाया गया और शिवपुर-हरिपुर रोड की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई गई।	स्वीकार किया गया.
20.	कृष्ण चंद, वार्ड सदस्य, नवादा	उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए तथा वाहनों द्वारा सामग्री के परिवहन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।	स्वीकार किया गया.
21.	गुरचरण सिंह, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी, नवादा गांव	क्षेत्र में पानी की कमी की सूचना दी तथा सड़क क्षति के बारे में शिकायत की।	यह मुद्दा मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है।
22.	हरविंदर सिंह	पेयजल की कमी का मुद्दा उठाया गया। बंगारण के निकट बैराज संरचना के निर्माण का सुझाव दिया गया।	यह मुद्दा मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही के दौरान किसी भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति की लिखित समीक्षा नहीं की गई।

पर्यावरण जन सुनवाई कार्यक्रम में 73 लोग उपस्थित रहे जिनमे से की 22 लोगों ने अपने विचार व सुझाव रखे। 22 में से 5 लोगों ने परयोजना के लगने के पक्ष में विचार दिया जबकि 17 लोगों ने मौजूदा खनन गतिविधियों से सम्बंधित समस्यायों व सुझाव के बारे में अपने विचार रखे।

जमीन मालिकों के द्वारा जान सुनवाई के दौरान मौखिक एवं लिखित में भी आवेदन दिया गया की वो अब प्रस्तावित भूमि को लीज पर नहीं देना चाहते हैं जिनकी प्रतिलिपिओं को **अनुलग्नक- II** में संलग्न किया गया है।

अंत में, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पांवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी इंजीनियर श्री अतुल परमार ने इस पर्यावरणीय जन सुनवाई में भाग लेने के लिए अध्यक्ष और अन्य सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।

श्री लायक राम वर्मा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Statement of issues raised during the Environmental Public Hearing of M/s Giri Yamuna Stone Crusher organized by H.P. State Pollution Control Board, Paonta Sahib on dated 22.04.2025 at 11:00 AM regarding river bed mining project for extraction/ collection of Sand, Stone and Bajri with proposed production @ 75, 863 MT/Year, located at Khasra No. 475/188 and 476/188 Mauza/ Mohal Mohakampur, Nawada in Tehsil Paonta Sahib, Distt Sirmaur (H.P.).

Sr. No.	Issue raised	Remarks on the issues raised
1	Regarding development of an alternate transportation route.	Funds have already been allocated for road repairs, and the matter is being actively addressed by the Sub-Divisional Magistrate (SDM).
2	Concerns regarding potential damage to a nearby kuhl/ water body due to mining activities.	The project consultant clarified that no existing water scheme or dam is located in proximity to the proposed mine lease.
3	Raised concerns regarding poor road conditions and the impact of mining on a planned water irrigation scheme.	The local administration has already taken necessary actions to address the road condition issue.
4	Raised concerns about flooding in adjacent private lands during the rainy season, illegal mining, poor road conditions, and traffic congestion.	The project consultant confirmed that provisions for bank protection, including retaining structures and check dams, are included in the approved mine plan.
5	Issues related to existing crushing units, illegal mining, overloaded trucks, traffic congestion, road damage, dust emissions affecting local crops, and depletion of the water table. Alternative route for excavated materials and the allocation of the DMFT fund for local welfare.	Measures such as regular water sprinkling, prohibition of truck overloading, and road maintenance have been planned to address these concerns.
6	Problem of noise pollution due to Stone crushers was highlighted which was affecting studies of students.	Clarified that the concerns raised pertain to an existing mining lease and are not related to the proposed project.
7	Raised issued about overloading of trucks.	The issue pertains to existing mining activities.
8	Issued about decreasing ground water level due to Mining and crushers activities.	The issue pertains to existing mining activities.
9	Raised issue about the drinking water shortage. Suggested construction of barrage structure near Bangaran.	The issue pertains to existing mining activities. Decision to be made by the local administration.

1/7/25

Regional Officer-cum-Environmental Engineer,
H.P. State Pollution Control Board,
Paonta Sahib, Distt. Sirmour H.P.